राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 785वी बैठक दिनांक 10.05.2023 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 785वी बैठक दिनांक 10.05.2023 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री मुजीबुर्रहमान खान, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट – जबलपुर (अन्य गौण खनिज रेत को छोड़कर)			SEAC द्वारा अनुशंसित	स्वीकृत
2.	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट – दतिया (रेत खनिज) –अद्यतन			SEAC द्वारा अनुशंसित	स्वीकृत
3.	9185/2022	1(a)	लाईमस्टोन एवं डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
4.	9239/2022	1(a)	लाईमस्टोन एवं डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
5.	9361/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
6.	7570/2020	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
7.	9042/2022	1(a)	लाईमस्टोन खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण
8.	9558/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
9.	9171/2022	1(a)	पत्थर खदान	For Relist	Relist and Sent to SEAC
10.	9650/2023	1(a)	पत्थर खदान	ToR में संशोधन	स्वीकृत
11.	9292/2022	1(c)	सिचाई परियोजना	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
12.	9342/2022	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
13.	7097/2020	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
14.	9586/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
15.	9579/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

16.	9585/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
17.	9591/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
18.	9593/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
19.	9594/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
20.	9595/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
21.	9596/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
22.	9597/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
23.	9598/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
24.	9600/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
25.	9602/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
26.	9631/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत

1. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट – जबलपुर (अन्य गौण खनिज रेत को छोड़कर)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 639वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 में जबलपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज रेत को छोड़कर) में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है :

"..................समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला– जबलपुर के पत्र क0 72 दिनांक 19/04/23 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या, भी प्रस्तुत कर दी गई है किंतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड हुई अभी 21 दिन नही हुए है जिस संबंध में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा हेतु खनिज अधिकारी श्री प्रदीप तिवारी ने बताया कि आज दिनांक तक कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नही हुए है तथा यदि कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त होते है तो उनको जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल कर पुनः अनुमोदन हेतु सिया को प्रस्तुत किया जायेगा । समिति ने अनुशंसा की कि समिति जबलपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज–रेत को छोड़कर) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित इस शर्त के साथ की जाय कि "यदि जबलपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त होते है तो उनको जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल कर खनिज अधिकारी पुनः अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे ।"

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 639वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 के अनुमोदन प्रस्ताव को मान्य करते हुए जबलपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज रेत को छोड़कर) का अनुमोदन SEAC द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ किया जाता है। तदानुसार जिला कलेक्टर, जबलपुर को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने एवं संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

2. <u>जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट – दतिया (रेत खनिज) –अद्यतन</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 639वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 में दतिया जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज)–अद्यतन में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है :

"..................अतः जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) के प्रपत्र क0. III एंव VI में त्रुटिपूर्ण खसरों में सुधार कर D.G.P.S. Co-ordintes के साथ जिला कलेक्टर खनिज शाखा, जिला दतिया दिनांक 19/04/2023 को सिया एवं सेक को प्रेषित की गई । समिति ने परीक्षण दौरान पाया कि जिला खनिज अधिकारी द्वारा उपरोक्त संशोधन कर प्रपत्र III एंव VI में त्रुटिपूर्ण खसरा मे सुधार कर D.G.P.S. Co-ordintes भी प्रस्तुत कर दिये गये है अतः समिति की अनुशंसा है कि कलेक्टर खनिज शाखा, जिला दतिया के पत्र क0. 334 दिनांक 13/04/2023 के माध्यम से प्राप्त प्रपत्र क0. III एंव VI में सुधार व D.G.P.S. Coordintes दतिया जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) में संशोधन व आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।"

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 639वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 के अनुमोदन प्रस्ताव को मान्य करते हुए दतिया जिले की अद्यतन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) का अनुमोदन SEAC द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ किया जाता है। तदानुसार जिला कलेक्टर, दतिया को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने एवं संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

3. **प्रकरण क्र. 9185/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मैहर ट्रेडर्स, बंगला न. 30 फेज–02, श्री गोल्डन सिटी, जाटखेड़ी, होशंगाबाद रोड, हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा लाईमस्टोन, डोलोमाइट एवं रिजेक्ट स्टोन खदान, उत्पादन क्षमता 3.0 लाख टन प्रतिवर्ष, गबगबरकबा 26.224 हेक्टेयर, खसरा नं. 196/1, 196/2, 197, 199, 200, 201, 202/1, 202/2, 203, 204 ,205, 206, 207, 208, 209, 210/1, 210/2, 210/3, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222/1, 222/2, 223, 224, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249/1, 249/2, 249/3, 250, ग्राम तमोरिया, तहसील मैहर, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 776वी बैठक दिनांक 28.03.2023 में निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित है :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 625वी बैठक दिनांक 01.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

1. *चूँकि आवंटित खनन क्षेत्र में खसरा नम्बर 207 कुल रकबा 0.47 हेक्टेयर भूमि आदिवासी श्री उमेश कौल की है, अतः भू–स्वामी को नियमानुसार उचित मुआवजा/लाभ दिए जाने के संबंध में राजस्व अधिकारी का भी अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाये।*

2. *आवंटित खनन क्षेत्र में निर्माणाधीन नहर के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की अनापत्ति प्राप्त कर प्रस्तुत करें।*

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

3. *उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार "प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्वीकृत आवंटित खनन् क्षेत्र में कुल 15 पेड लगे है जिसमें से 05 पेड़ काटे जायेगे तथा उनके एवज में 50 अतिरिक्त पेड लगाये जायेगे ।*

4. *परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी प्रस्तुत करें।*

उपरोक्त बिन्दु क्र. 1 से 3 तक की वांछित जानकारी अभिमत सहित 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में **SEIAA** की 776वी बैठक दिनांक 28.03.2023 में निर्णित कार्यवाही के परिपालन में परिवेश पोर्टल ऑनलाईन **ADS** दिनांक 11.04.2023 के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत कर प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं **SEAC** की 625वीं बैठक दिनांक 01.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–4) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **नहर से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। (माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 एवं सीपीसीबी की गाईडलाईन अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जायें।

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 15 वृक्षों में से काटे जाने वाले 05 पेड़ के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 50 पौधों का सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यकम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

Plantation Area	Species to be planted	No of Trees
Barrier Zone (along the boundary 2080 m X 5.5 m)	Siras Kala, Siras Safed, Karanjand other local species	1500

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

Under High Tension Line (Area-1.5 ha)	Karanj, Amaltas, Chirol, Amla and other local species	1500
Along with proposed Canal (Area -2.0 ha)	Jamun, Chirol, Neem, Aam, Karanj and other local species	2000
Backfilled area	Siras Kala, Siras Safed, Karanj , Peepal, Chirol, Aam, Neem and other local species	3700
Transport Route (Min. 01 meter high)	Chirol, Neem, Aam, Arjun, Sisoo, Peepal, Lasoda and other local species	1500
Sharda Mata Mandir, Maihar	Bel, Neem and Aonla	2000
Amran Ganga Scheme Nagod	Local Sapling will be given to municipal corporation	4000
	Total	16200

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन 02 वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- SEAC की अनुशंसा अनुसार तालिका में दर्शित गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाये:–

S. No	Activities	Area of implementation	1st Year	2nd Year	3rd Year	Total
1	**Education Improvement** - Aid to Bathia middle school for Computer, Printer, Microscope, (Fold scope), Sports Kit etc- Need based through Principal	Hemant Nagar (Chapna Tola) Village Bathiya and Chapna	60000	50000	50000	160000
2	Community Health Improvement Programme- medical camp in nearby villages once in a year	Hemant Nagar (Chapna Tola) Village, Bathiya	20000	20000	20000	60000

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

3	Water & Sanitation Improvement Awareness Programme (WATSAN) (training @ Rs 5000/-	Toilet in Village Bathiya and Chapna	10000	50000	50000	200000
4	Infrastructure Creation (One Pond and Repairing of roads from Mine site to Bathiya (Length-1500 m and Width 3 m)	Hemant Nagar (Chapna Tola) Village , Bathiya and Chapna	100000	75000	75000	250000
5	Plantation at Shri Sharda Mata Mandir (2000 Plants to be planted)	Village: Maihar	150000	50000	50000	250000
6	Plantation under Amran Ganga Scheme (4000 plants to be provided to Nagar Palika)	Nagod	200000	50000	50000	300000
Total			540000	295000	295000	1220000

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक मेसर्स मैहर ट्रेडर्स, बंगला न. 30 फेज–02, श्री गोल्डन सिटी, जाटखेड़ी, होशंगाबाद रोड, हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा लाईमस्टोन, डोलोमाइट एवं रिजेक्ट स्टोन खदान, उत्पादन क्षमता 3.0 लाख टन प्रतिवर्ष, रकबा 26.224 हेक्टेयर, खसरा नं. 196/1, 196/2, 197, 199, 200, 201, 202/1, 202/2, 203, 204 ,205, 206, 207, 208, 209, 210/1, 210/2, 210/3, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222/1, 222/2, 223, 224, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249/1, 249/2, 249/3, 250, ग्राम तमोरिया, तहसील मैहर, जिला सतना (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला सतना द्वारा निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 17.01.2002 से 30 वर्ष के लिये स्वीकृत की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 16.01.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

4. प्रकरण क्र 9239/2022 परियोजना प्रस्तावक संचालक, मेसर्स प्रांजल एग्रोटेक प्रा. लि., श्री सुभाष चन्द्र बंसल, निवासी एम.आई जी.–II, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा लाईमस्टोन एवं डोलोमाईट खदान उत्पादन क्षमता लाईमस्टोन 11148 टन प्रतिवर्ष एवं डोलोमाईट 60102 टन प्रतिवर्ष, रकबा 2.109 हेक्टेयर, खसरा 22, 31 ग्राम सेझा, तहसील बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 771वी बैठक दिनांक 03.02.2023 में निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित है :–

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 613वी बैठक दिनांक 22.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने के हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 765वी बैठक दिनांक 10.01.2023 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार "प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्वीकृत आवंटित खनन् क्षेत्र में 04 पेड़ लगे है, जिसमें से 01 पेड़ सक्षम प्राधिकारी की अनुमति उपरांत काटे जायेंगे एवं उसके एवज् में 10 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे। .....

अतः प्रकरण में SEAC द्वारा अनुशंसित 10 पौधों का क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा एवं प्रस्तावित खदान में पूर्व में किये गये उत्खनन की वर्षवार विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की किये जाने के उपरांत ही पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर ADS दिनांक 24.01.2023 के माध्यम से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की जानकारी प्रस्तुत कर पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि जिला कटनी की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन नहीं हुआ है। अतः प्रकरण को Delist किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितो को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में **SEIAA** की **776**वी बैठक दिनांक 28.03.2023 में निर्णित कार्यवाही के परिपालन में परिवेश पोर्टल ऑनलाईन **ADS** दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रस्तुत कर प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

उक्त प्रकरण में लीज वर्ष 1987 से वर्ष 2007 तक स्वीकृत थी जिसे शेष अवधि हेतु वर्ष 2000 में मेसर्स प्रांजल एग्रोटेक को हस्तांतरित की गई है तथा उक्त लीज का नवकरण कर अनुबंध दिनांक 05.12.2015 को निष्पादित कर दिनांक 05.03.2007 से 04.03.2037 तक लीज स्वीकृत की गई है। प्रकरण में SEAC की अनुशंसा अनुसार वर्ष 2022 तक परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन किया गया है। चूँकि प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्ष 2014 के उपरांत भी बिना पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त कर उत्खनन कार्य किया गया है जिससे कि प्रकरण Violation की श्रेणी के अंतर्गत होना प्रतीत होता है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

5. **प्रकरण क्र. 9361/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स प्रकाश स्टोन इंडस्ट्रिज, प्रोपराईटर श्री जय प्रकाश अग्रवाल, निवासी जैतहरी जिला अनूपपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि). उत्पादन क्षमता 25000 घन मीटर प्रतिवर्ष रकबा 3.089 हेक्टेयर, खसरा 512/8/क. 543/1, ग्राम मझगंवा, तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 766वी बैठक दिनांक 11.01.2023 में निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित है :–

"........राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC 614वी बैठक दिनांक 23.12.2022 की अनुशंसा अनुसार निर्णय लिया गया कि उक्त खदान बायोस्फियर रिजर्व के 97 ग्रामों की सूची में सम्मलित है के संबंध में कलेक्टर जिला अनूपपुर से 15 दिवस में स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि उक्त खदान को पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति तो नहीं है। आवश्यकतानुसार जिला स्तर पर वन विभाग के माध्यम से स्थल निरीक्षण कर अनुशंसा प्राप्त की जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में SEIAA की 766वी बैठक दिनांक 11.01.2023 में निर्णित कार्यवाही के परिपालन में परिवेश पोर्टल ऑनलाईन ADS दिनांक 15.04.2023 के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत कर प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्‌दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य किया जाता है एवं SEAC की 625वीं बैठक दिनांक 01.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–3) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जायें।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन कार्य किये जाने के पूर्व वनमण्डलाधिकारी अनूपपुर एवं जिला खनिज अधिकारी की उपस्थिति में खदान क्षेत्र का सीमांकन करवाया जाये एवं यह सुनिश्चित किया जाये कि खदान क्षेत्र की सीमा से 250 मीटर की दूरी (समीपस्थ वन क्षेत्र की सीमा) तक उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

Total no. of sapling:- 4000 within 1 years Plantation will be carried out through DFO, Anuppur.			
Year	Name of Tree	No. of Plants	Location

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

1st Year	Neem, Khamir, Karanj, Bargad, Mahua, Imli, Sitafal, Katang Bamboo, Chirol, Babool etc.	2900	In the first year, 2900 Dominant plants will be planted in a row around the 7.5 meter barrier zone area(5240 sqm) of the mining area & seed (Neem & Babool) sowing in the barrier zone as suggested by the committee. (Plantation Size 60cm x 60cm)
	Aonla, Mango, Munga, Kathal, Imli, Guava, Papaya, Lemon, Harra, Bahera, Jamun, etc.	800	800 fruit bearing trees will be distributed in one year of village Majhgawan. (This activity will be done under the **"Ankur Yojana"** of the Government of Madhya Pradesh).
	300 nos. Shade Trees - Kadam, Jungal Jalebi, Karanj, Khamir, Amla, Chirol, Kanak Champa, Khajur, Bel, etc.	300	Approach Road and Village road, Local Pond/ Nala/Canal/ River site. .
Total		**4000**	

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बज़ट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन 02 वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम पंचायत मझगवां के शासकीय स्कूल में 01 स्मार्ट क्लास रूम एवं लाईब्रेरी का निर्माण किया जाये।
- ग्राम मझगवां की आंगनबाडी केन्द्र में महिला बाल विकास के परामर्श 01 वर्ष तक सम्पूर्ण व्यय वहन किया जाये।
- ग्राम मझगवां में ग्रामवासियों के लिये वर्ष में 02 बार स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाये तथा औषधि वितरित की जाये।
- खदान में कार्यरत मजदूरों को उज्जवला योजना के तहत 05 एलपीजी सिलेण्डर (@5000/-) वितरित किये जायें।
- ग्राम मझगवां में ग्रामवासियों को 800 फलदार पौधों को वितरण किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक मेसर्स प्रकाश स्टोन इंडस्ट्रीज, प्रोपराईटर श्री जय प्रकाश अग्रवाल, निवासी जैतहरी जिला अनूपपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि). उत्पादन क्षमता 25000 घन मीटर प्रतिवर्ष रकबा 3.089 हेक्टेयर, खसरा 512/8/क. 543/1, ग्राम मझगंवा, तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला अनूपपुर द्वारा पत्र क्र. 1710 दिनांक 24.08.2021 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 23.08.2031 तक वैध मान्य रहेगी।

6. **प्रकरण क्र. 7570/2020 परियोजना प्रस्तावक श्री राकेश बंसल आत्मज श्री कचरूमल बंसल, निवासी 13, रामकृष्णगंज, अनाज मंडी के पीछे, जिला खण्डवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 57000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 1189, 1190, 1214, रकबा 7.490 हेक्टेयर, ग्राम देशगांव, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 781वी बैठक दिनांक 12.04.2023 में निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित है :–

"..........राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 777वी बैठक दिनांक 28.03.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 627वीं बैठक दिनांक 03.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड KML फाईल के अक्षांश देशांश एवं प्रस्तुत माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश तथा DSR के अक्षांश देशांश का मिलान नहीं हो रहा है जिस कारण गूगल ईमेज पर पर्यावरण संवदेशीलता का आकलन नहीं हो पा रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त के संबंध में 15 दिवस में स्पष्टीकरण एवं अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार सही अक्षांश देशांश की KML फाईल परिवेश पोर्टल एवं ई–मेल के माध्यम से प्राप्त की जाये। तदानुसार प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त निर्णय के परिपालन परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन ADS दिनांक 05.04.2023 के माध्यम से स्पष्टीकरण एवं अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार सही अक्षांश देशांश की KML फाईल प्रस्तुत कर प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा में कि प्रकरण में शिकायत प्राप्त हुई है जिसका अभीतक निराकरण नहीं हुआ है, अतः प्रकरण से संबंधित शिकायत का बिन्दुवार एजेण्डा तैयार कर आगामी SEIAA बैठक में प्रस्तुत किया जाये तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।"

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में SEIAA की 781वी बैठक दिनांक 12.04.2023 में निर्णित कार्यवाही के परिपालन में ई–मेल दिनांक 25.04.2023 के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत कर प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं SEAC की 627वीं बैठक दिनांक 03.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **डेम के केचमेन्ट से न्यूनतम 200 मीटर तक" नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जायें।

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा 250 मीटर की परिधि के अंदर स्थित वन क्षेत्र के संबंध में कार्यालय कमिश्नर, इन्दौर के कार्यवाही विवरण दिनांक 07.07.2016 की अनुशंसा अनुसार वन क्षेत्र से 50 मीटर तक नो माईनिंग जोन छोड़ा जाये एवं समस्त शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया जावे।**

(iii) SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी की जाने वाली पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यकम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

Phase	Name of Tree	No. of Plants	Location
1st year	Katang bans, Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo, Jam, and other local species	3000	In barrier zone and along the gullies

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

2nd year	Katang bans, Jamun, Karanj, Pipal, Mango, Khamer, Neem, Sissoo, Jam, Aanwla, and other local species	3000	In barrier zone and along the gullies
1st year to 2nd year	Arjun, Khamar, Neem, Gular, Kadamb, Sisoo, Karanj, Pipal, and other local species	900	Along the transport route (1100m) 2.5m distance with 1m height
1st year	Mango, Guava, Imli, Awala, Bel, Munga, Mahua and other local species	2000	For village distribution
	Total		8900 (6000 + 900 + 2000)

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वियन 02 वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा :—

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम देशगांव के शासकीय स्कूल बिल्डिंग की मरम्मत व रंग रोगन का कार्य तथा पीने के पानी हेतु ओवरहेड टेंक की स्थापना पानी सप्लाई हेतु पम्प के साथ किया जाये।
- ग्राम देशगांव में ग्रामवासियों के लिये वर्ष में 02 बार स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाये तथा औषधि वितरित की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक श्री राकेश बंसल आत्मज श्री कचरूमल बंसल, निवासी 13, रामकृष्णगंज, अनाज मंडी के पीछे, जिला खण्डवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 57000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 1189, 1190, 1214, रकबा 7.490 हेक्टेयर, ग्राम देशगांव, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा (म.प्र.)। कार्यालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा आदेश क्र. 17906—7 दिनांक 17.12.2018 के माध्यम से दिनांक 20.06.2018 से 10 वर्ष की

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 19.06.2028 तक वैध मान्य रहेगी।

7. प्रकरण क्र. **9042/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री के.के. गौतम, पुरानी बस्ती जलपा देवी वार्ड, गौतम लेन, जिला कटनी (म.प्र.) लाईम स्टोन माईन (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता लाईम स्टोन एवं वेस्ट – 1,97,440 टन प्रतिवर्ष खसरा नं. 15/1 पार्ट, रकबा 6.104 हेक्टेयर, ग्राम भटूरा, तहसील मैहर, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 776वी बैठक दिनांक 28.03.2023 में निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित है :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 626वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं SEAC की अनुशंसा अनुसार उक्त खदान में 1981 से वर्ष 2011 तक खनन कार्य किया गया है एवं उसके बाद खदान बंद है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा लगभग 12 वर्ष के उपरांत पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। अतः कलेक्टर, जिला सतना द्वारा स्थल निरीक्षण करवाकर स्पष्ट अभिमत 15 दिवस में प्राप्त किया जाये कि उक्त क्षेत्र में वर्ष 2011 के उपरांत खनन कार्य किया गया है अथवा नहीं। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में SEIAA की 776वी बैठक दिनांक 28.03.2023 में निर्णित कार्यवाही के परिपालन में परिवेश पोर्टल ऑनलाईन ADS दिनांक 27.04.2023 के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत कर प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

उक्त प्रकरण में लीज वर्ष 1981 से वर्ष 1991 तक स्वीकृत गई तथा प्रथम नवकरण दिनांक 30.10. 2021 तक स्वीकृत होकर अनुबंधित गई जिसे वर्ष 2011 में के.के. गौतम के पक्ष में शेष अवधि हेतु हस्तांतरित की गई है तथा वर्तमान में लीज की अवधि समाप्त हो चुकी है लीज नवीनीकरण के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है। प्रकरण में SEAC की अनुशंसा अनुसार वर्ष 2011 तक परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई उत्खनन कार्य नहीं किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक से उक्त प्रकरण में पूर्व में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी जल, वायु सम्मति एवं लीज अवधि के संबंध में दस्तावेज प्राप्त किये जायें तथा यह भी स्पष्ट कराया जाये कि उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति क्यों प्राप्त नहीं की गई ?

8. प्रकरण क्र. **9558/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ए.एस. कन्स्ट्रक्शन कंपनी, श्री सुनील जैन, निवासी फिरोजपुर, झिरका मेवात, हरियाणा द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर**

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

प्रतिवर्ष, खसरा नं. 171/2/2, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम बाजना, तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 781वी बैठक दिनांक 12.04.2023 में निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित है :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 625वीं बैठक दिनांक 01.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

".........राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में परिवेश पोर्टल पर एकल प्रमाण पत्र जिला शिवपुरी का अपलोड है। अतः परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तावित खदान का एकल प्रमाण पत्र ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर 10 दिवस में प्राप्त किया जाये।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में SEIAA की 781वी बैठक दिनांक 28.03.2023 में निर्णित कार्यवाही के परिपालन में परिवेश पोर्टल ऑनलाईन ADS दिनांक 27.04.2023 के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत कर प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार खनन क्षेत्र से पश्चिम दिशा में 80 मीटर पर जल रोकने की संरचना परिलक्षित है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 एवं सीपीसीबी की गाईडलाईन अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है) जिसके परिपालन में जल रोकने की संरचना से निर्धारित दूरी 200 मीटर छोड़ने के पश्चात् न्यूनतम खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध हो रहा है। अतः पुनः परीक्षण हेतु प्रकरण SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये। SEAC द्वारा प्राथमिकता पर समयावधि में प्रकरण निराकृत कर SEIAA को सूचित किया जाये।

9. **प्रकरण क्र. 9171/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री किशन सिंह चौहान आत्मज श्री नाथू सिंह चौहान निवासी ग्राम साडा तहसील बहोरीबंद जिला कटनी (म.प्रं) द्वारा पत्थर खदान, (ओपेनकास्ट सेमी मैकनाईज्ड) उत्पादन क्षमता लेटेराईट 8000 घनमीटर प्रतिवर्ष, ,रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 412 ग्राम साडा तहसील बहोरीबंद जिला कटनी (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् आवेदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 739वी बैठक दिनांक 29.07.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 586वी बैठक दिनांक 21.07.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नलिखित अनुशंसा की गई है:

"............ परियोजना प्रस्तावक श्री किशन सिंह चौहान और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. ऑनलाईन उपस्थित हुए । प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुरानी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट ऑन लाईन अपलोड की गई है जिसमें प्रश्नाधीन खदान का उल्लेख नही है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आज दिनांक तक कटनी जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सेक में परीक्षण हेतु प्राप्त नहीं हुई है । अतः इस स्थिति में इस प्रकरण पर पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किया जाना संभव नहीं है।"

*राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत 586वीं बैठक दिनांक 21.07.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को **Delist** किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।*

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त निर्णय के परिपालन में ई–मेल दिनांक 24.04.2023 के माध्यम से प्रकरण को Relist किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण **(SEIAA)** द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार **विमर्श** उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को **मान्य करते हुए प्रकरण को Relist कर SEAC** को परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक **को सूचित किया जाये।**

10. **प्रकरण क्र. 9650/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स खजुराहो स्टोन (इण्डिया) प्रा.लि., श्री नीतिश चतुर्वेदी, निवासी– 6 कि.मी. सागर रोड़, ढडारी, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता 150000 घनमीटर से 285713 घनमीटर (पत्थर 1,71,428 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम.सेण्ड 1,14,285 घनमीटर प्रतिवर्ष), रकबा 11.00 हेक्टेयर, खसरा नं. 1293, ग्राम बुदार, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.)**

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 775वी बैठक दिनांक 17. 03.2023 द्वारा SEAC की 624वी बैठक दिनांक 26.02.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में (परिशिष्ट–डी) एवं अतिरिक्त शर्तों के साथ पत्र क्र. 3227 दिनांक 24.03.2023 द्वारा **ToR** जारी किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEIAA से जारी ToR दिनांक 24.03.2023 में उत्पादन क्षमता 400000 घनमीटर **(पत्थर 240000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम.सेण्ड 160000 घनमीटर प्रतिवर्ष)** के स्थान पर 400000 टन प्रतिवर्ष **(पत्थर 240000 टन प्रतिवर्ष एवं एम.सेण्ड 160000 टन प्रतिवर्ष)** किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण से संबंधित ऑनलाईन प्रस्तुत दस्तावेजों (लीज स्वीकृत आदेश, माईनिंग प्लान, एकल प्रमाण पत्र इत्यादि) का परीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि उक्त प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता 400000 टन प्रतिवर्ष (पत्थर 240000 टन प्रतिवर्ष एवं एम.सेण्ड 160000 टन प्रतिवर्ष) अंकित है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारिण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि चूँकि पत्थर एवं एम.सेण्ड की उत्पादन क्षमता घनमीटर में ही होती है प्रकरण में जारी ToR पत्र में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 400000 घनमीटर (पत्थर 240000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

एम.सेण्ड 160000 घनमीटर प्रतिवर्ष) के स्थान पर 285713 घनमीटर (**पत्थर 1,71,428 घनमीटर प्रतिवर्ष** एवं एम.सेण्ड **1,14,285 घनमीटर प्रतिवर्ष**) पठन किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

11. **Case No. 9292/2022:** Prior Environment Clearance for Sanwer Micro Lift Irrigation Scheme at Village - Kandiyakund, Tehsil - Badwah, Dist. Khargone, MP . CCA: 80,003 ha. GCA: 1,20,401 ha., Benefitted Villages: 272 Nos., Executive Engineer, Office of the Executive Engineer, Narmada Development Division No. 08, Sanawad, Dist. Khargone, MP. Cat. 1(c) River Valley and Hydroelectric Projects. Env. Con. –M/s. R. S. Envirolinks Technologies Pvt. Ltd. Gurgoon.

1. उक्त पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तावित सांवेर माइक्रो लिफ्ट सिंचाई योजना के तहत सांवेर तहसील के 80 गांवों, खुडेल तहसील के 47 गांवों और इंदौर जिले की कनाड़िया तहसील के 26 गांवों, खरगोन जिले की बरवाह तहसील के 59 गांवों और 7 गांवों उज्जैन जिले की उज्जैन तहसील में फैले culturable command area (CCA) के 80,003 हेक्टेयर की सिंचाई करने की योजना है। योजना का जी.सी.ए. 1,20,401 हेक्टेयर है।
2. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 639 वीं दिनांक 25.04.2023 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया, उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 01 से 10 तक अंकित है।

उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रकरण को राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ रखा गया। प्रकरण में चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

i. माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा eco sensitive area, forest area से संबंधित समय –समय पर जारी दिशा निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करे।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग की जाये ।

iii. बिजली के वैकल्पिक स्रोत के रूप में परियोजना प्रस्तावक को पंप हाउस के उचित संचालन के लिए आवश्यक सौर पैनल स्थापित करने का प्रावधान करना चाहिए।

iv. जन सुनवाई में उठे मुद्दों का निश्चित रूप से परिपालन अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करे।

v. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार स्थायी संरचनाओं (पीएच, डीसी आदि) के निर्माण के लिए अर्जित भूमि और संपत्ति का मुआवजा दिया जाना सुनिश्चित करे।

vi. कमांड क्षेत्र के वनस्पतियों और जीवों के सुधार के लिए अप्रोच चैनल, एप्रोच रोड और निरीक्षण पथ, पंप हाउस की सीमा आदि पर वृक्षारोपण की जाना चाहिए ।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

vii. यदि संचालन अवधि के दौरान दलदली भूमि का निर्माण होता है, तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 639 वीं दिनांक दिनांक 25.04.2023 **की कार्यवाही** विवरण, अनुशंसा एवं अधिरोपित **शर्तों** को राज्य **स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण** (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व **परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से** विशिष्ट शर्तों के साथ उपरोक्त बिंदु **i** से vii एवं परिशिष्ट–5 को शर्तों **में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

12. **प्रकरण क्र 9342/2022 परियोजना प्रस्तावक** मेसर्स **पुष्पा इन्टरप्राईजेज, प्रो. श्री आनंद ताम्रकार, जी–7, 8 दीनदयाल परिसर, ई–2 अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि),** उत्पादन क्षमता **50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 7.0 हेक्टेयर, खसरा 39,** ग्राम **मवईघाट–2,** तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय **स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 639वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 639वीं बैठक दिनांक **25.04.2023** की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 1,26,000 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन** नहीं किया जायेगा **इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया** जायेगा।

II. **परियोजना प्रस्तावक** द्वारा SEAC **की अनुशंसा** अनुसार लीज **एरिया 7.00 हेक्टेयर से 3.09** हेक्टेयर क्षेत्र में ही रेत खनन **किया जायेगा।**

III. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

V. **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

VI. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवाया जायें तथा इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि रू. 5.0 लाख परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा किये जाये तथा तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।

VII. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे इस हेतु सुरक्षा राशि ग्राम पंचायत को जमा की जाये :–

क्र.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के स्लीपस, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास (2,000) 4–5 पंक्ति – कटंग बांस (2,000) 6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा अर्जुन, कहवा, जंगल जलेवी, खमेर, कुसुम एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (1000)	5000
2.	ग्राम– मवईघाट, गोविंदपुर, भसरोद, जूदीपुर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	3090
3.	परिवहन मार्ग (पेड़ो की न्यूनतम ऊचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, चिरोल ,जंगल जलेबी, आँवला, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	260
4	मवईघाट सरकारी विद्यालय में वितरण हेतु	कदम्ब, अमलतास, पुत्ररंजीवा, मौलश्री, अशोक,नीम, सीताफल, गुलमोहर इत्यादि।	50
		योग	8400

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम मवईघाट के शासकीय स्कूल में विद्यार्थियों के बैठने हेतु 15 डेस्क व बेंच एवं 01 कम्प्यूटर टेबल के साथ प्रदान किये जायें।
- ग्राम मवईघाट में ग्रामीणों के लिये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाये तथा औषधि वितरित की जाये।
- ग्रामीणों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिये पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

IX. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 31.05.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पुष्पा इन्टरप्राईजेज, प्रो. श्री आनंद ताम्रकार, जी–7, 8 दीनदयाल परिसर, ई–2 अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 7.0 हेक्टेयर, खसरा 39, ग्राम मवईघाट–2, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर का आदेश क्र. 1857 दिनांक 02.09.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

(मुजीबुररहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

13. प्रकरण क्र 7097/2023 परियोजना **प्रस्तावक मेसर्स नेशनल ट्रेंडिग एंड सर्विस लि. निदेशक, श्री विनोद कुमार गोवर्थी, निवासी प्लाट नं. 7, बिंदु सदन, 401, सांई चन्द्रा रेसीडेंसी, हैदराबाद, रंगरेदि (तेलगांना) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 118800 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 11.00 हेक्टेयर, खसरा 1 एवं 112, ग्राम शाहपुर/पतौवापुरा, तहसील शाहपुर, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 639वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 639वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 118800 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 118800 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 118800 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 118800 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 118800 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्का रोड़ ब्रिज से न्यूनतम 1000 मीटर एवं निर्माणधीन रोड़ ब्रिज के फाउण्डेशन से न्यूनतम 500 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जायें।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC **की अनुशंसा अनुसार लीज एरिया 11.00 हेक्टेयर से 6.60 हेक्टेयर क्षेत्र में ही रेत खनन किया जायेगा।**

IV. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

VI. परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

VII. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवाया जायें तथा इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि रू. 4.20 लाख परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा किये जाये तथा तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।

VIII. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगेः–

Phase	**Location**	**Name of Tree**	**No. of Plants to be Planted**
Up to June 2023	For Village distribution specially to the famers who,s land are near to the river bank.	Aam, Munga Hybrid Ber, Sitafal, Anwla, Neembu, Bel and other local species.	5000
Up to June 2023	Evacuation route	Aam, Chirol , Neem , Jangal Jalebi, Kadam and other local species.	**1000**

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम शाहपुर/पतौवापुरा की सड़क (2.1 किलोमीटर) की मरम्मत एवं रखरखाव किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा) सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

- ग्राम में 01 किलोमीटर की डब्ल्यू.बी.एम. रोड़ का निर्माण किया जाये।
- स्थानीय प्रशासन/एनजीओ के माध्यम से 5000 फलदार पौधों का वितरण ग्रामवासियों को किया जाये।
- आस–पास के भूमि के कटाव को रोकने के लिये बालू से भरी बोरियां लगाई जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

X. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 31.05.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स नेशनल ट्रेंडिग एंड सर्विस लि. निदेशक, श्री विनोद कुमार गोवर्थी, निवासी प्लाट नं. 7, बिंदु सदन, 401, सांई चन्द्रा रेसीडेंसी, हैदराबाद, रंगरेदि (तेलगांना) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 118800 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 11.00 हेक्टेयर, खसरा 1 एवं 112, ग्राम शाहपुर/पतौवापुरा, तहसील शाहपुर, जिला बैतूल (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल का आदेश क्र. 250 दिनांक 10.02.2023 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

14. प्रकरण क्र 9586/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया आत्मज श्री कृष्णपाल सिंह भदौरिया, निवासी– ई–46, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.80 हेक्टेयर, खसरा 587, 646, 654, ग्राम अस्टोट, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 785वी बैठक दिनांक 10.05.2023 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 639वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा **प्रकरण में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत उपरोक्त लीज पर DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति को पूर्व में प्रकरण क्र. 6897/2020 पंजीबद्ध कर हस्तांतरित किया गया था जिसे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के ओ.ए. क्र. 90/2022 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2022, ओ.ए. 142/202 एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के परिपालन में प्रकरण क्र. 6897/2020 को बंद (Close) किया जाता है** एवं SEAC की 639वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 13110 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 13110 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 28800 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

IV. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवाया जायें तथा इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा किये जाये तथा तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

V. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे **इस हेतु सुरक्षा** राशि ग्राम पंचायत को जमा की जाये:–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर **(नदी तट से 1 से** 6 पक्तियों में)	**1–3 पंक्ति– खस,** नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के **स्लीपसए गटायन के बीज एंव स्थानीय घास (500)** **4–5 पंक्ति – कटंग बांस (400)** **6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा अर्जुन, कहवा, जंगल जलेवी, खमेर एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (100)**	1000
2	**ग्रामवासियों में वितरण हेतु**	सीताफल, आवलाँ,अमरुद, मुनगा, पपीता , निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	3050
3	परिवहन मार्ग (पेड़ो की न्यूनतम ऊचाई 01 मीटर)	**खमेर,** चिरौल, करंज, जंगल जलेबी, **कदम, कनक** चंपा	750
		कुल	4800

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम अस्टोट के शासकीय प्राथमिक विद्यालय की मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण किया जाये तथा झूले व फिलसपट्टी प्रदान की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

VII. **जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व** उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से **स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 31.05.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया आत्मज श्री कृष्णपाल सिंह भदौरिया, निवासी– ई–46, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.80 हेक्टेयर, खसरा 587, 646, 654, ग्राम अस्टोट, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया का आशय पत्र क्र. 598–6 दिनांक 26.08.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

15. प्रकरण क्र 9579/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया आत्मज श्री कृष्णपाल सिंह भदौरिया, निवासी– ई–46, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.90 हेक्टेयर, खसरा 01, ग्राम कंजोली–2, तहसील सेंवढ़ा, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 639वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत उपरोक्त लीज पर DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति को पूर्व में प्रकरण क्र. 6900/2020 पंजीबद्ध कर हस्तांतरित किया गया था जिसे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के ओ.ए. क्र. 90/2022 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2022, ओ.ए. 142/202 एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के परिपालन में प्रकरण क्र. 6900/2020 को बंद (Close) किया जाता है एवं SEAC की 639वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 5130 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 14700 घनमीटर दर्शित है, अतः

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

IV. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवाया जायें तथा इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि रू. 5.82 लाख परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा किये जाये तथा तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।

V. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे इस हेतु सुरक्षा राशि ग्राम पंचायत को जमा की जायेः–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के स्लीपस, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास (500) 4–5 पंक्ति – कटंग बांस (400) 6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा अर्जुन, कहवा, जंगल जलेवी, खमेर, कुसुम एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (100)	1000
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलॉं,अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	3150
3	परिवहन मार्ग (पेड़ो की न्यूनतम ऊचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरौल, करंज, जंगल जलेबी, कदम, कनक चंपा	750

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

	कुल	4900

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम कंजोली के आंगनबाडी केन्द्र की मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

VII. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 31.05.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया आत्मज श्री कृष्णपाल सिंह भदौरिया, निवासी– ई–46, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.90 हेक्टेयर, खसरा 01, ग्राम कंजोली–2, तहसील सेंवढ़ा, जिला दतिया (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया का आशय पत्र क्र. 598–6 दिनांक 26.08.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

16. **प्रकरण क्र 9585/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया आत्मज श्री कृष्णपाल सिंह भदौरिया, निवासी– ई–46, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 7920 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.00 हेक्टेयर, खसरा 01, ग्राम अजीजपुरा, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 639वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा **प्रकरण में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत उपरोक्त लीज पर DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति को पूर्व में प्रकरण क्र. 6901/2020 पंजीबद्ध कर हस्तांतरित किया गया था जिसे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के ओ.ए. क्र. 90/2022 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2022, ओ.ए. 142/202 एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के परिपालन में प्रकरण क्र. 6901/2020 को बंद (Close) किया जाता है** एवं SEAC की 639वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 7920 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 7920 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 7920 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 18060 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 7920 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

IV. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवाया जायें तथा इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि रू. 3.40 लाख परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा किये जाये तथा तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।

V. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे इस हेतु सुरक्षा राशि ग्राम पंचायत को जमा की जाये:–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के स्लीपस, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास (300) 4–5 पंक्ति – कटंग बांस (200) 6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा अर्जुन, कहवा, जंगल जलेवी, खमेर, कुसुम एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (100)	**600**
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलॉं,अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	**2000**
3	परिवहन मार्ग (पेड़ो की न्यूनतम ऊचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरौल, करंज, जंगल जलेबी, कदम, कनक चंपा	**400**
		कुल	3000

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम अजीतपुरा के आंगनबाडी केन्द्र की मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जाये तथा झूले व फिसलपट्टी प्रदान की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यत: कार्यान्वित की जाएगी।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

VII. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक **30.06.2023 के पूर्व** उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों **को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय** निकाय के माध्यम से **स्थानीय** स्तर पर **ग्रामीण** विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन **किया** जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार **आवश्यक** राशि **जमा करवाकर सी.ई.आर.** गतिविधियेां **का** क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

VIII. **परियोजना प्रस्तावक** द्वारा **वृक्षारोपण,** सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन **रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण** (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 31.05.2023 **तक पूर्ण कर** अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित **SEIAA** एवं **क्षेत्रीय** कार्यालय **MoEF&CC** को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त **शर्तों का** अनुपालन प्रतिवेदन **जिला** खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया **जायेगा।**

परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया आत्मज श्री कृष्णपाल सिंह भदौरिया, निवासी– ई–46, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 7920 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.00 हेक्टेयर, खसरा 01, ग्राम अजीजपुरा, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया का आशय पत्र क्र. 598–6 दिनांक 26.08.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

17. प्रकरण क्र **9591/2022 परियोजना प्रस्तावक** श्री सुनील सिंह भदौरिया आत्मज श्री **कृष्णपाल सिंह** भदौरिया, निवासी– ई–46, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 9990 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.740 हेक्टेयर, खसरा 503, 596, ग्राम मुस्तारा, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया (म.प्र.) **की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के** लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 639वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा व **परामर्श** उपरांत उपरोक्त लीज पर **DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति को पूर्व में प्रकरण क्र. 6971/2020 पंजीबद्ध कर हस्तांतरित किया गया था जिसे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के ओ.ए. क्र. 90/2022** में **पारित आदेश दिनांक 23.12.2022, ओ.ए. 142/202 एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के परिपालन में प्रकरण क्र. 6971/2020 को बंद (Close) किया जाता है** एवं SEAC की 639वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 9990 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 9990 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 14100 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 9990 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार लीज एरिया 4.740 हेक्टेयर से 1.98 हेक्टेयर क्षेत्र में ही रेत खनन किया जायेगा।**

IV. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

VI. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवाया जायें तथा इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि रू. 3.40 लाख परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा किये जाये तथा तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।

VII. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे इस हेतु सुरक्षा राशि ग्राम पंचायत को जमा की जायेः-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के स्लीपस, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास (300) 4–5 पंक्ति – कटंग बांस (200) 6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा अर्जुन, कहवा, जंगल जलेवी, खमेर, कुसुम एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (100)	600
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलॉं,अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2000
3	परिवहन मार्ग (पेड़ो की न्यूनतम ऊचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरौल, करंज, जंगल जलेबी, कदम, कनक चंपा	400
		कुल	3000

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम अजीतपुरा के आंगनबाडी केन्द्र की मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जाये तथा झूले व फिसलपट्टी प्रदान की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

IX. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यो/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 31.05.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया आत्मज श्री कृष्णपाल सिंह भदौरिया, निवासी– ई–46, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 9990 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.740 हेक्टेयर, खसरा 503, 596, ग्राम मुस्तारा, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया का आशय पत्र क्र. 598–6 दिनांक 26.08.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

18. प्रकरण क्र 9593/2022 **परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया आत्मज श्री कृष्णपाल सिंह भदौरिया, निवासी– ई–46, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान– खोदू भरू (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 11970 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.980 हेक्टेयर, खसरा 292, 295, 296, ग्राम बसईमलक–2, तहसील सेंवढ़ा, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 639वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–सी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा **प्रकरण में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत उपरोक्त लीज पर DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति को पूर्व में प्रकरण क्र. 6918/2020 पंजीबद्ध कर हस्तांतरित किया गया था जिसे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के ओ.ए. क्र. 90/2022 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2022, ओ.ए. 142/202 एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के परिपालन में प्रकरण क्र. 6918/2020 को बंद (Close) किया जाता है** एवं SEAC की 639वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–3) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 11970 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 14850 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 11970 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

IV. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवाया जायें तथा इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि रू. 5.82 लाख परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा किये जाये तथा तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।

V. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे इस हेतु सुरक्षा राशि ग्राम पंचायत को जमा की जाये:–

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	पट्टा सीमा के किनारे – (घना वृक्षारोपण)	चिरोल , नीम , जंगल जलेबी , सीताफल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1000
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ,अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	3150
3	परिवहन मार्ग (पेड़ो की न्यूनतम ऊचाई 01 मीटर ट्री गार्ड के साथ)	खमेर, चिरौल, करंज, जंगल जलेबी, कदम, कनक चंपा	750
		कुल	4900

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरुप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम बसईमलक के आंगनबाडी केन्द्र की मरम्मत, रंगाई पुताई एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

VII. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 31.05.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया आत्मज श्री कृष्णपाल सिंह भदौरिया, निवासी– ई–46, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान– खोदू भरू (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 11970 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.980 हेक्टेयर, खसरा 292, 295, 296, ग्राम बसईमलक–2, तहसील सेंवढ़ा, जिला दतिया (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया का आशय पत्र क्र. 598–6 दिनांक 26.08.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

19. प्रकरण क्र 9594/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया आत्मज श्री कृष्णपाल सिंह भदौरिया, निवासी– ई–46, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 23393 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.90 हेक्टेयर, खसरा 01, ग्राम मड़ीखेड़ा, तहसील सेंवढ़ा, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 639वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा **प्रकरण में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत उपरोक्त लीज पर DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति को पूर्व में प्रकरण क्र. 6970/2020 पंजीबद्ध कर हस्तांतरित किया गया था जिसे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के ओ.ए. क्र. 90/2022 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2022, ओ.ए. 142/202 एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के परिपालन में प्रकरण क्र. 6970/2020 को बंद (Close) किया जाता है** एवं SEAC की 639वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया **गया** :–

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 23393 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 26000 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 23393 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 39535 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 23393 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा** SEAC **की अनुशंसा अनुसार लीज एरिया 4.90 हेक्टेयर से 1.559 हेक्टेयर क्षेत्र में ही रेत खनन किया जायेगा।**

III. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

V. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवाया जायें तथा इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि रू. 5.82 लाख परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा किये जाये तथा तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।

VI. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

कार्य हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे इस हेतु सुरक्षा राशि ग्राम पंचायत को जमा की जाये :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के स्लीपस, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास (500) 4–5 पंक्ति – कटंग बांस (300) 6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा अर्जुन, कहवा, जंगल जलेवी, खमेर, कुसुम एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (200)	1000
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ,अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	3150
3	परिवहन मार्ग (पेड़ो की न्यूनतम ऊचाई 01 मीटर ट्री गार्ड के साथ)	खमेर, चिरौल, करंज, जंगल जलेबी, कदम, कनक चंपा	750
		कुल	4900

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम मड़ीखेड़ा के शासकीय प्राथमिक स्कूल की मरम्मत, रंगाई पुताई एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जाये एवं कम्प्यूटर लैब के लिये 02 कम्प्यूटर टेबल के साथ प्रदान किये जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

VIII. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 31.05.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया आत्मज श्री कृष्णपाल सिंह भदौरिया, निवासी– ई–46, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 23393 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.90 हेक्टेयर, खसरा 01, ग्राम मड़ीखेड़ा, तहसील सेंवढ़ा, जिला दतिया (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया का आशय पत्र क्र. 598–6 दिनांक 26.08.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

20. प्रकरण क्र 9595/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया आत्मज श्री कृष्णपाल सिंह भदौरिया, निवासी– ई–46, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 14962.5 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.80 हेक्टेयर, खसरा 01, ग्राम मरसेनी खुर्द, तहसील सेंवढ़ा, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 639वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत उपरोक्त लीज पर DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति को पूर्व में प्रकरण क्र. 6899/2020 पंजीबद्ध कर हस्तांतरित किया गया था जिसे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के ओ.ए. क्र. 90/2022 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2022, ओ.ए. 142/202 एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के परिपालन में प्रकरण क्र. 6899/2020 को बंद (Close) किया जाता है एवं SEAC की 639वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 14962.5 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 14962.5 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 39535 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 14962.5 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज** अधिकारी द्वारा **परिपालन सुनिश्चित किया** जायेगा।

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार लीज एरिया 4.80 हेक्टेयर से 0.995 हेक्टेयर क्षेत्र में ही रेत खनन किया जायेगा।**

III. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

V. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवाया जायें तथा इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि रू. 5.64 लाख परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा किये जाये तथा तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।

VI. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे इस हेतु सुरक्षा राशि ग्राम पंचायत को जमा की जाये :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के स्लीपस, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास (500) 4–5 पंक्ति – कटंग बांस (300) 6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा अर्जुन, कहवा, जंगल	960

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

		जलेवी, खमेर, कुसुम एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (160)	
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ,अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	3120
3	परिवहन मार्ग (पेड़ो की न्यूनतम ऊचाई 01 मीटर ट्री गार्ड के साथ)	खमेर, चिरौल, करंज, जंगल जलेबी, कदम, कनक चंपा	720
		कुल	4800

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम मरसेनीखुर्द के शासकीय माध्यमिक स्कूल में 30 टेबल चेयर का सेट प्रदान किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

VIII. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक **30.06.2023** के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 31.05.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित **SEIAA** एवं क्षेत्रीय कार्यालय **MoEF&CC** को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया आत्मज श्री कृष्णपाल सिंह भदौरिया, निवासी– ई–46, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 14962.5 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.80 हेक्टेयर, खसरा 01, ग्राम मरसेनी खुर्द, तहसील सेंवढ़ा, जिला दतिया (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया का आशय पत्र क्र. 598–6 दिनांक 26.08.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

21. **प्रकरण क्र 9596/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया आत्मज श्री कृष्णपाल सिंह भदौरिया, निवासी– ई–46, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 14940 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.840 हेक्टेयर, खसरा 814, ग्राम सलेतरा, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 639वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा **प्रकरण में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत उपरोक्त लीज पर DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति को पूर्व में प्रकरण क्र. 6911/2020** पंजीबद्ध कर हस्तांतरित किया गया था **जिसे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के ओ.ए. क्र. 90/2022** में पारित आदेश दिनांक 23.12.2022, ओ.ए. 142/202 एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के परिपालन में प्रकरण क्र. 6911/2020 **को बंद (Close) किया जाता है** एवं SEAC की 639वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 14940 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 14940 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 28800 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 14940 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार लीज एरिया 4.840 हेक्टेयर से 1.494 हेक्टेयर क्षेत्र में ही रेत खनन किया जायेगा।**

III. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

V. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवाया जायें तथा इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि रू. 5.71 लाख परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा किये जाये तथा तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।

VI. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे इस हेतु सुरक्षा राशि ग्राम पंचायत को जमा की जाये :-

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के स्लीपस, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास (500) 4-5 पंक्ति - कटंग बांस (300) 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा अर्जुन, कहवा, जंगल जलेवी, खमेर, कुसुम एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (160)	968
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलॉं,अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	3206
3	परिवहन मार्ग (पेड़ो की न्यूनतम ऊचाई 01 मीटर ट्री गार्ड के साथ)	खमेर, चिरौल, करंज, जंगल जलेबी, कदम, कनक चंपा	726
		कुल	4900

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम सलेतरा के शासकीय माध्यमिक स्कूल में 35 टेबल चेयर का सेट प्रदान किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

VIII. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक **30.06.2023 के पूर्व** उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 31.05.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित **SEIAA** एवं क्षेत्रीय कार्यालय **MoEF&CC** को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया आत्मज श्री कृष्णपाल सिंह भदौरिया, निवासी– ई–46, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 14940 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.840 हेक्टेयर, खसरा 814, ग्राम सलेतरा, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया का आशय पत्र क्र. 598–6 दिनांक 26.08.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

22. **प्रकरण क्र 9597/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया आत्मज श्री कृष्णपाल सिंह भदौरिया, निवासी– ई–46, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.60 हेक्टेयर, खसरा 1/1, ग्राम कुतोली, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 639वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा **प्रकरण में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत उपरोक्त लीज पर DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति को पूर्व में प्रकरण क्र. 6915/2020 पंजीबद्ध कर हस्तांतरित किया गया था जिसे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के ओ.ए. क्र. 90/2022 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2022, ओ.ए. 142/202 एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** भारत सरकार द्वारा जारी **कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के परिपालन में प्रकरण क्र. 6915/2020 को बंद (Close) किया जाता है** एवं SEAC की 639वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में **27740 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC** से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 27600 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त **आदेश** दिनांक 22.02.2022 **एवं** 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया** जायेगा।

II. परियोजना **प्रस्तावक** द्वारा SEAC **की अनुशंसा अनुसार लीज एरिया 4.60 हेक्टेयर से 2.0 हेक्टेयर क्षेत्र में ही रेत खनन किया जायेगा।**

III. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

V. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवाया जायें तथा इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि रू. 5.40 लाख परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा किये जाये तथा तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।

VI. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

कार्य हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे इस हेतु सुरक्षा राशि ग्राम पंचायत को जमा की जाये :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के स्लीपस, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास (500) 4–5 पंक्ति – कटंग बांस (300) 6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा अर्जुन, कहवा, जंगल जलेवी, खमेर, कुसुम एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (120)	920
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ,अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2990
3	परिवहन मार्ग (पेड़ो की न्यूनतम ऊचाई 01 मीटर ट्री गार्ड के साथ)	खमेर, चिरौल, करंज, जंगल जलेबी, कदम, कनक चंपा	690
		कुल	4600

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम कुतौली के शासकीय माध्यमिक स्कूल में 50 टेबल चेयर का सेट प्रदान किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

VIII. **जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत**

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियेां का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

IX. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 31.05.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।**

परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया आत्मज श्री कृष्णपाल सिंह भदौरिया, निवासी– ई–46, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.60 हेक्टेयर, खसरा 1/1, ग्राम कुतोली, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया का आशय पत्र क्र. 598–6 दिनांक 26.08.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

23. **प्रकरण क्र 9598/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया आत्मज श्री कृष्णपाल सिंह भदौरिया, निवासी– ई–46, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान–खोदू भरू (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 3990 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.460 हेक्टेयर, खसरा 138, ग्राम कंजोली–1, तहसील सेंवढ़ा, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 639वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–सी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा व **परामर्श उपरांत उपरोक्त लीज पर DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति को पूर्व में प्रकरण क्र. 6917/2020 पंजीबद्ध कर हस्तांतरित किया गया था जिसे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के ओ.ए. क्र. 90/2022 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2022, ओ.ए. 142/202 एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के परिपालन में प्रकरण क्र. 6917/2020 को बंद (Close) किया जाता है** एवं SEAC की 639वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 3990 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 4000 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 3990 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 20400 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

न्यूनतम उत्पादन क्षमता 3990 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

IV. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवाया जायें तथा इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा किये जाये तथा तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।

V. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे इस हेतु सुरक्षा राशि ग्राम पंचायत को जमा की जाये :–

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के स्लीपस, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास (500) 4–5 पंक्ति – कटंग बांस (300) 6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा अर्जुन, कहवा, जंगल जलेवी, खमेर, कुसुम एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (120)	692
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ,अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2289
3	परिवहन मार्ग (पेड़ो की न्यूनतम ऊचाई 01 मीटर ट्री गार्ड के साथ)	खमेर, चिरौल, करंज, जंगल जलेबी, कदम, कनक चंपा	519
		कुल	3500

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीर्णोद्वार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम कंजोली–1 के शासकीय प्राथमिक स्कूल बिल्डिंग की मरम्मत, रंगाई पुताई व सौंदर्यीकरण किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

VII. **जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यो की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियेां का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।**

VIII. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 31.05.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।**

परियोजना प्रस्तावक **श्री सुनील सिंह भदौरिया आत्मज श्री कृष्णपाल सिंह भदौरिया, निवासी– ई–46, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान–खोदू भरू (ओपनकास्ट मैनुअल विधि),** उत्पादन क्षमता **3990** घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा **3.460** हेक्टेयर, खसरा **138**, ग्राम **कंजोली–1**, तहसील सेंवढ़ा, जिला दतिया (म.प्र.)। **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया का आशय पत्र क्र. 598–6 दिनांक 26.08.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023** तक की सहमति जारी की गई है, अतः **यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।**

(मुजीबुरहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

24. **प्रकरण क्र 9600/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया आत्मज श्री कृष्णपाल सिंह भदौरिया, निवासी– ई–46, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 9975 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.60 हेक्टेयर, खसरा 765, 2222, ग्राम रूहेरा तहसील सेंवढ़ा, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 639वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा **प्रकरण में विस्तृत चर्चा व परामर्श** उपरांत उपरोक्त **लीज पर DEIAA द्वारा** जारी **पर्यावरण स्वीकृति को पूर्व में प्रकरण क्र. 6919/2020** पंजीबद्ध कर हस्तांतरित किया **गया था जिसे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के ओ.ए. क्र. 90/2022 में पारित आदेश दिनांक** 23.12.2022, **ओ.ए. 142/2022 एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के परिपालन में प्रकरण क्र. 6919/2020 को बंद (Close) किया जाता है** एवं SEAC की 639वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 9975 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 9975 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 24768 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 9975 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार लीज एरिया 4.60 हेक्टेयर से 1.0 हेक्टेयर क्षेत्र में ही रेत खनन किया जायेगा।**

III. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

V. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवाया जायें तथा इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि रू. 5.40 लाख परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा किये जाये तथा तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।

VI. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे इस हेतु सुरक्षा राशि ग्राम पंचायत को जमा की जाये :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के स्लीपस, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास (500) 4–5 पंक्ति – कटंग बांस (300) 6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा अर्जुन, कहवा, जंगल जलेवी, खमेर, कुसुम एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (120)	920
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ,अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2990
3	परिवहन मार्ग (पेड़ो की न्यूनतम ऊचाई 01 मीटर ट्री गार्ड के साथ)	खमेर, चिरौल, करंज, जंगल जलेबी, कदम, कनक चंपा	690
		कुल	4600

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :—

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम रूहेरा के आंगनबाड़ी ग्राउण्ड व बाउंड्री वाल की मरम्मत व रंगाई पुताई कराई जाये एवं झूला व फिसलपट्टी स्थापित की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

VIII. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 31.05.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया आत्मज श्री कृष्णपाल सिंह भदौरिया, निवासी– ई–46, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 9975 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.60 हेक्टेयर, खसरा 765, 2222, ग्राम रूहेरा तहसील सेंवढ़ा, जिला दतिया (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया का आशय पत्र क्र. 598–6 दिनांक 26.08.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

25. प्रकरण क्र 9602/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया आत्मज श्री कृष्णपाल सिंह भदौरिया, निवासी– ई–46, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 9900 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.90 हेक्टेयर, खसरा 935, ग्राम धमना तहसील भाण्डेर, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 639वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत उपरोक्त लीज पर DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति को पूर्व में प्रकरण क्र. 6895/2020 पंजीबद्ध कर हस्तांतरित किया गया था जिसे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के ओ.ए. क्र. 90/2022 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2022, ओ.ए. 142/202 एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के परिपालन में प्रकरण क्र. 6895/2020 को बंद (Close) किया जाता है एवं SEAC की 639वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 की

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 9900 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 9900 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 14040 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 9900 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया** जायेगा।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **जल रोकने की संरचना से न्यूनतम 500 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जायें।

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार लीज एरिया 4.90 हेक्टेयर से 1.980 हेक्टेयर क्षेत्र में ही रेत खनन किया जायेगा।**

IV. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

VI. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवाया जायें तथा इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि रू. 6.00 लाख परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा किये जाये तथा तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।

VII. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे इस हेतु सुरक्षा राशि ग्राम पंचायत को जमा की जाये :–

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के स्लीपस, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास (500) 4–5 पंक्ति – कटंग बांस (400) 6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा अर्जुन, कहवा, जंगल जलेवी, खमेर, कुसुम एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (100)	1000
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ,अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	3200
3	परिवहन मार्ग (पेड़ो की न्यूनतम ऊचाई 01 मीटर ट्री गार्ड के साथ)	खमेर, चिरौल, करंज, जंगल जलेबी, कदम, कनक चंपा	800
		कुल	5000

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम धमना के शासकीय माध्यमिक विद्यालय की मरम्मत व रंगाई पुताई कराई जाये एवं झूला व फिसलपट्टी स्थापित की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

IX. **जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।**

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 31.05.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित **SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC** को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया आत्मज श्री कृष्णपाल सिंह भदौरिया, निवासी– ई–46, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 9900 **घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.90 हेक्टेयर, खसरा 935, ग्राम धमना तहसील भाण्डेर, जिला** दतिया (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया का आशय पत्र क्र. **598–6 दिनांक 26. 08.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व** पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक **30.06.2023** तक मान्य रहेगी।

26. **प्रकरण क्र 9631/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया आत्मज श्री कृष्णपाल सिंह भदौरिया, निवासी– ई–46, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 17955 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 514, ग्राम अजीतपुरा–2 तहसील भाण्डेर, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 639वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा **प्रकरण में विस्तृत चर्चा व परामर्श** उपरांत उपरोक्त **लीज पर DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति को पूर्व में प्रकरण क्र. 6913/2020 पंजीबद्ध कर हस्तांतरित किया गया था जिसे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के ओ.ए. क्र. 90/2022 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2022, ओ.ए. 142/202 एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के परिपालन में प्रकरण क्र. 6913/2020 को बंद (Close) किया जाता है** एवं SEAC की 639वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तो (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 17955 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 18000 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 17955 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 18000 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 17955 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा तथा इस क्षेत्र में से रेत नहीं निकाली जायेगी तथा रेत का परिवहन आवंटित खनन् क्षेत्र के पूर्वी भाग से किया जायेगा।**

III. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

V. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवाया जायें तथा इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि रू. 2.95 लाख परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा किये जाये तथा तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।

VI. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे इस हेतु सुरक्षा राशि ग्राम पंचायत को जमा की जाये :–

क.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के स्लीपस, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास (200) 4–5 पंक्ति – कटंग बांस (200) 6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा अर्जुन, कहवा, जंगल जलेबी, खमेर, कुसुम एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (100)	500
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलॉं,अमरुद, मुनगा, पपीता, निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1500
3	परिवहन मार्ग (पेड़ो की न्यूनतम ऊचाई 01 मीटर ट्री गार्ड के साथ)	खमेर, चिरौल, करंज, जंगल जलेबी, कदम, कनक चंपा	400
		कुल	**2400**

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम अजीतपुरा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय की मरम्मत व रंगाई पुताई कराई जाये एवं झूला व फिसलपट्टी स्थापित की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

VIII. **जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।**

IX. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 31.05.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।**

परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया आत्मज श्री कृष्णपाल सिंह भदौरिया, निवासी– ई–46, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 17955 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 514, ग्राम अजीतपुरा–2 तहसील भाण्डेर, जिला दतिया (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया का आशय पत्र क्र. 598–6 दिनांक 26.08.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

(मुजीबुरहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

परिशिष्ट–1

गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. संबंधित जिले के जिला खनिज अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित खदान हेतु उल्लेखित खनिज की कुल मात्रा से अधिक का उत्खनन न हो।
2. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चत किया जाये।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारो ओर की जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
8. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
11. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
14. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
15. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
16. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
17. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
19. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
22. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
23. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :–

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

25. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

परिशिष्ट–2

गौण खनिज (रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तेः

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
2. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
5. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।
6. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबद्धता अनुसार जलभराव क्षेत्र को गैर–खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जायेगा।
8. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

9. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।

10. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू–आकृति विज्ञान का एक कार्य है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।

14. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

17. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

20. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

21. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

परिशिष्ट–3

गौण खनिज (खोदू भरू रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
2. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
5. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
6. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
9. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

12. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

15. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

16. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

परिशिष्ट–4

मुख्य खनिज श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चत किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर) की स्थापना की जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

6. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
9. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
12. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
13. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
14. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में अपशिष्ठ दृव्य (Waste Water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।
16. परियोजना प्रस्तावक खदान के समीपस्थ (1 किलोमीटर की परिधि में) क्षेत्र में स्थित ट्यूबवैल, बोरवैल, कुओं/बावड़ीयों के जल की गुणवत्ता का प्रत्येक छः माह में आकलन कर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगत Zero Discharge पद्धति आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी क्षेत्र से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण का आकलन प्रत्येक छः माह में किया जाकर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान परिसर एवं परिवहन/पहुंच मार्ग पर प्रतिदिन दो बार पानी का छिड़काव किया जायेगा।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक वर्ष में दो बार खदान में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों का शासकीय चिकित्सालय से समन्वय कर चिकित्सा परीक्षण करवाया जायेगा।

22. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

23. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

25. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

28. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

29. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

परिशिष्ट–5

1. A grievances redress mechanism should be devised by NVDA GoMP and put in place so that aggrieved PAFs and other stakeholders may approach the Authority easily for resolution of any dispute/conflict.

2. PP shall ensure that, land required for the proposed project is acquired and possession is taken only after payment of compensation to the land holders as per the provision of the Right to fair compensation and transparency in land acquisition Act amended from time to time.

3. No additional land shall be used/acquired for any activity of the project without obtaining proper permission.

4. PP to take utmost precaution for health and safety of the people working in the project as also for protecting the environment.

5. In the event of the failure of any pollution control system adopted by the project proponent, the project shall be immediately put out of operation and shall not be restarted until the desired efficiency has been achieve.

6. A detailed scheme for rainwater harvesting shall be prepared and implemented to recharge ground water.

7. To enhance the natural environmental quality & aesthetics of project site, plantation, as proposed in the EMP Report shall be undertaken in the proposed area. Allocated grant for this purpose shall be fully utilized separately and not to be diverted for any other purpose.

8. Occurrence of stagnant pools/slow moving water channels during construction and operation of the project may provide breeding source for vector mosquitoes and other parasites. The river should be properly channelized so that no small pools and puddles are allowed to be formed. Even after taking precaution, due to unforeseen situations, breeding of mosquito and resultant malaria or mosquito borne diseases can increase. If such a situation arises, it will be the responsibility of project authorities to take all steps i.e. residual insecticidal spray in all the project area and surrounding 3 km. Area keeping the flight range of mosquitoes in consideration. Also medical assistance to be provided to the affected people at the cost of the developer and appropriate health benefits may be initiated with the help of State Health Department. it is recommended that contractors should enforce standards, recommended by Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

9. Regular monitoring of water quality (Surface and Ground) including heavy metals shall be undertaken in the project area and around the project area to ascertain the change, if any, in the water quality due to leaching of contaminants, if any, from the increased use of chemical fertilizers and pesticides.

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

10. PP should ensure the pumps and pump house building are designed in such a way that outside noise levels will not exceed the CPCB standards.

11. As alternate source of power PP should ensure to install required solar panels to proper running of Pump house.

12. The budgetary provisions for implementation of EMP, shall be fully utilized and not to be diverted to any other purpose. In case of revision of the project cost or due to price level change, the cost of EMP shall also update proportionately.

13. If marshy land create during operation period the adequate measure should be taken by PP.

14. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM issued vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated: 25 February 2021, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility and Environmental Management Plan.

15. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F. No. 22-65/2017-IA.III dated Ist May 2018 regarding Corporate Environment Responsibility. The activities under CER shall be worked out as per the para no. (V) of the aforesaid OM and shall be restricted to the affected area around the project. The entire activities under CER shall be treated as project and shall be monitored. The monitoring report shall be submitted to the regional office as a part of half-yearly compliance report and to a District Collector.

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष